न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : पुरुषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

दाण्डिक विविध प्रकरण संख्या : 44/2026
(CIS No. 44/2026)
(CNR No. RJRS060001452026)

प्र.सू.रि. संख्या : 52/2026 पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा

विजय पुत्र जगदीश, उम्र 35 वर्ष, निवासी गिंगला, पुलिस थाना कुराबड़, हाल बोहरा पेट्रोल पम्प नाथद्वारा के पास स्थित सनराईज अपार्टमेंट नाथद्वारा, पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

——प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक।

—— अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध धारा 108, 316(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–
1. श्री महेश वर्मा – विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री लोकेश कुमार माली – विद्वान् अपर लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक : 24.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **विजय** की ओर से नियमित जमानत का **प्रथम आवेदन** अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 108, 316(2) बी.एन.एस. में जरिये अधिवक्ता के पेश किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा केस डायरी तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.03.2026 को प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण टांक निवासी खेजरडला, थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा को सम्बोधित करते हुए एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि मृतक दिनेश टांक उसके मामा थे, जो चांदी के आभूषण बनाकर सप्लाई का कार्य करते थे। दिनेश द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को कुल लगभग 34–35 किलो चांदी के आभूषण उधार में दिए गए थे, जिनमें विजय सोनी को 7 किलो, रवि सोनी को 5 किलो, सोनिया सोनी को 1 किलो, पप्पू ब्राह्मण निवासी उदयपुर को 5 किलो, हीरालाल सोनी निवासी जोधपुर को 6 किलो तथा राहुल निवासी जोधपुर हाल जयपुर को 10 किलो चांदी के आभूषण शामिल थे, किन्तु

किसी ने भी भुगतान नहीं किया। अधिक ऑर्डर के कारण दिनेश ने सागर मराठा, राकेश सोनी व अन्य से चांदी उधार ली थी। लगभग 2 माह पूर्व सागर मराठा, राकेश सोनी व एक अन्य व्यक्ति द्वारा दिनेश को बिलाड़ा से जोधपुर ले जाकर मारपीट व धमकी देकर 10 किलो चांदी की जबरन लिखत करवाई गई, जबकि वास्तविक मांग 3 किलो की थी। साथ ही अन्य उधारदारों द्वारा भी भुगतान से इंकार कर जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिससे दिनेश टांक मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हो गया। घटना से पूर्व दिनेश उधारी वसूलने हेतु बिलाड़ा से नाथद्वारा गया, जहां वह 3 दिन तक विजय सोनी के घर रहा। दिनांक 09.03.2026 को रात्रि लगभग 1:30 बजे उसने 2 वीडियो भेजकर स्वयं के दबाव व खतरे में होने की जानकारी दी। बाद में सूचना मिली कि दिनेश का शव विजय सोनी के घर पर पाया गया। उक्त सभी लोगों ने दिनेश को सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित कर मार डाला। उक्त लोगों के मोबाईल नंबर रवि 6350471158, सागर मराठा 6375726452, हीरालाल 8112260732, पप्पु 7014124481 है.....इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा द्वारा प्रकरण संख्या 52/2026 अंतर्गत धारा 108 बी.एन.एस., 2023 मे दर्ज किया जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध धारा 108, 316(2) बीएनएस, 2023 में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. केस डायरी के अवलोकन से **अभियुक्त विजय** के विरुद्ध पूर्व में संस्थित आपराधिक प्रकरण का विवरण इस प्रकार है–

क.सं	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट नंबर मय दिनांक	नतीजा
––शून्य––				

4. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे प्रकरण में झुठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी दिनांक से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब परिवार का व्यक्ति हैं तथा घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हैं जिसके जेल में रहने पर परिवार वाले भुखे मर जायेंगे। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपनी बहस में अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। केस डायरी का आद्योपरांत परिशीलन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी रविन्द्र के मामा दिनेश के साथ आपराधिक विश्वासघात कर उसे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण किये जाने का आरोप होकर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 108, 316(2) बीएनएस 2023 के अपराध का आक्षेप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। हालांकि केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, लेकिन प्रार्थी/अभियुक्त पर मृतक दिनेश के साथ विश्वासघात कर उसे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण किये जाने का गंभीर आरोप है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है, ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष हो और न ही प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट कारण प्रकट किया गया है कि परिवादी द्वारा किन कारणों से उसके विरुद्ध विद्वेषतापूर्वक यह प्रकरण दर्ज कराया गया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त **विजय** की ओर से पुलिस थाना श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2026 में प्रस्तुत जमानत का प्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा

9. आदेश आज दिनांक **24.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा